



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 10.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त जान मोहम्मद पुत्र नूरीसा को करीब 119 ग्राम नशीला पदार्थ (अल्प्राजोलम पाउडर) के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को मांझा मोड़ के पास लकड़ी के पुल के पास बहद ग्राम मांझा थाना सिंगाही जनपद खीरी से करीब 119 ग्राम नशीला पदार्थ (अल्प्राजोलम पाउडर) के साथ गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु0अ0सं0 005/2023 अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS ACT पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. जान मोहम्मद पुत्र नूरीसा उर्फ नूर मोहम्मद निवासी वार्ड नं0 07 मो0 झाला कस्बा व थाना सिंगाही जनपद खीरी

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी

119 ग्राम नशीला पदार्थ (अल्प्रोजोलम पाउडर) ।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 005/2023 अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS ACT थाना सिंगाही खीरी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 005/2023 अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS ACT थाना सिंगाही खीरी ।
- 2.मु0अ0सं0 761/2022 धारा 2(ख)1/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना धौरहरा खीरी ।
- 3.मु0अ0सं0 662/2022 धारा 3/25 Arms Act थाना धौरहरा खीरी ।
- 4.मु0अ0सं0 660/2022 धारा 307 IPC थाना धौरहरा खीरी ।
- 5.मु0अ0सं0 655/2022 धारा 395,412 IPC थाना धौरहरा खीरी ।
- 6.मु0अ0सं0 475/2013 धारा 363,366,368 IPC थाना सिंगाही खीरी ।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना सिंगाही खीरी ।
- 2.हे0का0 कौशल सिंह थाना सिंगाही खीरी ।
- 3.का0 दुष्यन्त कुमार थाना सिंगाही खीरी ।

थाना तिकुनियां पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को चोरी की बैटरी व चोरी के 520 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.01.2023 को थाना तिकुनियां पुलिस द्वारा गुरुनानक तिराहे से समय 10.40 बजे अभियुक्त इस्लाम खां पुत्र नजीर खां निवासी सुथना बरसोला थाना तिकुनियां जनपद खीरी उम्र करीब 23 वर्ष को सम्बन्धित मु0अ0सं0 003/23 धारा 379/411 भादवि व गु0अ0सं0 322/22 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित मय एक अदद बैट्री LIVGUARD व 520 रूपये के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

01 अदद बैट्री LIVGUARD सम्बन्धित मु0अ0सं0 003/23 धारा 379/411 व 520 रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 322/22 धारा 457/380 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 फरीद खान कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी।
2. का0 शिव कुमार

थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त सद्दाम पुत्र मोहर्म्म को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना निघासन पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.01.2023 को रात्रि गश्त के दौरान अभियुक्त 1. सद्दाम पुत्र मोहर्म्म निवासी ग्राम लखाही कोतवाली निघासन जिला खीरी को ग्राम ढखेरवा चौराहा से जाने वाला पुल स्थित खोका के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की जामा तलाश से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी हुई है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं018/23 धारा 3/25

अभियुक्त से बरामदगी विवरण -

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 168/2022 धारा 411/413 भादवि व 41/102 दं0प्र0सं0 थाना धौरहरा
2. मु0अ0सं0 170/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धौरहरा
3. मु0अ0सं0 18/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 बाबूराम (चौकी प्रभारी ढखेरवा) कोतवाली निघासन
2. हे0का0 राजवहादुर रावत कोतवाली निघासन

3. हे०का० जयचन्द्र कोतवाली निघासन
4. का० प्रेमकिशोर कोतवाली निघासन

थाना निघासन पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जगन्नाथ पुत्र ढोलई को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में वारण्टी / वाछिंत / संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी निघासन श्री संजयनाथ तिवारी के पर्यवेक्षण में तथा प्र०नि० थाना निघासन श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में निघासन पुलिस बल द्वारा वारण्टी अभियुक्त जगन्नाथ पुत्र ढोलई निवासी सेमरहिया कोतवाली निघासन जनपद खीरी हाल पता ग्राम द्वारिकापुरवा कोतवाली निघासन जनपद खीरी को इसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जगन्नाथ पुत्र ढोलई उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० अनिल कुमार राजपूत कोतवाली निघासन
2. हे०का० विकास पवार कोतवाली निघासन

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 03 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.01.2023 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 08/2023 धारा 363 भादवि मे अपर्हत अजय पुत्र धनराज निवासी ग्राम सुरजनपुर थाना मैलानी जिला खीरी की गुमशुदगी दिनांक 07.1.2023 को पंजीकृत कराई गयी थी। जिसमे दिनांक 08.01.2023 गुमशुदा अजय का क्षत-विक्षत शव थाना भीरा क्षेत्र शारदा नदी से बरामद हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना अभि0 पुरुषोत्तम मोर्ये पुत्र आन्नद कुमार मोर्य निवासी वार्ड नं0 01 कस्बा व थाना मैलानी का नाम प्रकाश मे आया तथा अपहृत अजय उपरोक्त के ऊपर ट्रैक्टर व रोटवेटर चढ जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अभियुक्तगण द्वारा अजय के शव को रोटवेटर पर लादकर एकराय होकर शारदी नदी मे फेक दिया गया था। मुकदमा उपरोक्त की तमामी विवेचना ,बरामदगी शव आदि साक्ष्य सकलन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 363/304/201/34 भादवि के अपराध का होना पाया गया मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त 1.संजय कुमार पुत्र सुखलाल उर्फ कोतवाली 2.सूरज कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम सुरजनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी 3. पुरूषोत्तम मौर्या पुत्र आनन्द कुमार मौर्या निवासी वार्ड नं0 1 कस्बा व थाना मैलानी जनपद खीरी को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10/01/2023 को थानाध्यक्ष मैलानी राहुल सिंह गौर मय हमराह फोर्स के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि0गण का चालान मा0 न्याय0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभि0गण का विवरण

1. संजय कुमार पुत्र सुखलाल उर्फ कोतवाली निवासी ग्राम सुरजनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी
2. सूरज कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सुरजनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी
3. पुरूषोत्तम मौर्या पुत्र आनन्द कुमार मौर्या निवासी वार्ड नं0 1 कस्बा व थाना मैलानी जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

- 1.थानाध्यक्ष राहुल सिंह गौर, थाना मैलानी
2. उ0नि0 कौशल किशोर

3. का0 दीपक चन्द्रा
4. का0 जाबिर हुसैन
- 5.का0 मो0 आरिफ
6. का0 सूरज कुमार
7. का0 चकित कुमार
8. सत्री दुहण
9. का0 सचिन कुमार
- 10.म0का0 दीप्ती चौधरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त ज्वाला प्रसाद पुत्र मुनीश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 10.01.23 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त ज्वाला प्रसाद पुत्र मुनीश नि0ग्राम सराय मजरा सैदापुर भाऊ थाना फरधान जनपद खीरी को देवकली पुलिया के पास 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना फरधान पर मु0अ0सं0 015/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.ज्वाला प्रसाद पुत्र मुनीश नि0ग्राम सराय मजरा सैदापुर भाऊ थाना फरधान जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संजीव तोमर, थाना फरधान

2. उ0नि0 मो0 मुश्ताक

3. हे0का0 कुमार गौरव शर्मा

4. का0 अतुल त्रिपाठी

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त नियामत हुसैन को चोरी की गयी मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.01.2023 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त नियामत हुसैन पुत्र रियाजत हुसैन निवासी ग्राम कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी को छोटी नहर पुल वहद ग्राम बेलहिया थाना मैलानी जनपद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मु0अ0स0 10/2023 धारा 379 भा0द0वि0 मे चोरी हुई मोटरसाइकिल सुपर स्पलेन्डर न0 UP 31BJ 5884 तथा 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करने मे सफलता अर्जित की । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

नियामत हुसैन पुत्र रियाजत हुसैन निवासी कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोगों का विवरण

मु0अ0सं0 10/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0

मु0अ0स0 11/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

बरामदगी:-

01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल

01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 प्रवीण कुमार, (चौकी प्रभारी संसारपुर) थाना मैलानी
2. का0 प्रदीप कुमार
3. का0 मनोज कुमार

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 09.01.23 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 690 रु0 नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 07/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अ0सं0 444/14 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त सरताज पुत्र सफीउल्ला निवासी देवीस्थान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 91 लीटर अवैध शराब बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **91 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **08 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **08 अभियोग** पंजीकृत किए गए।